



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 51 राँची, मंगलवार, 21 माघ, 1947 (श०)
10 फ़रवरी, 2026 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

5 जनवरी, 2026

अधिसूचना सं०- 2/संग्र.-5 कला-04/09.....01--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के अधीन संस्कृति संवर्ग में भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

झारखण्ड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2025

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली “झारखण्ड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025” कही जाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:-

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा वर्णित प्रतीत न हो, इस नियमावली में:-

- (1) “राज्य” से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
- (2) “राज्य सरकार” से पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (3) “विभाग” से अभिप्रेत है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग।
- (4) “निदेशालय” से अभिप्रेत है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय।
- (5) “नियमावली” से अभिप्रेत है “झारखण्ड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025”।
- (6) “प्रक्षेत्र” से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में संस्कृतिकला प्रक्षेत्र, पुरातत्व प्रक्षेत्र एवं संग्रहालय प्रक्षेत्र।
- (7) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, संवर्ग के अराजपत्रित पदों हेतु निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय तथा संवर्ग के राजपत्रित पदों हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के माध्यम से झारखण्ड सरकार।
- (8) “आयोग” से अभिप्रेत है सहायक निदेशक (संस्कृति एवं कला) के पद पर सीधी नियुक्ति की अनुशंसा हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अराजपत्रित कोटि के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
- (9) “निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

- (10) “संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी” से अभिप्रेत है संवर्ग के अराजपत्रित पदों हेतु निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय तथा संवर्ग के राजपत्रित पदों हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग।
- (11) “परीक्ष्यमान” से अभिप्रेत है वह सरकारी सेवक जो विभाग के संवर्ग के किसी मौलिक रिक्ति में या उसके सम्मुख परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो।
- (12) “वरीयता सूची” से अभिप्रेत है तीनों प्रक्षेत्रों के अधीन विभिन्न पदों की वरीयता सूची।
- (13) “भर्ती वर्ष” से अभिप्रेत है पंचांग वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर)।
- (14) “संवर्ग” से अभिप्रेत है झारखण्ड संस्कृति संवर्ग।

3. झारखण्ड संस्कृति संवर्ग की रचना एवं बल:-

- (1) ‘झारखण्ड संस्कृति संवर्ग’ राज्य स्तरीय संवर्ग होगा।
- (2) इस संवर्ग में ‘संस्कृति/कला’, ‘पुरातत्व’ एवं ‘संग्रहालय’ प्रक्षेत्र के पद शामिल होंगे।
- (3) संवर्ग में राजपत्रित सेवा अन्तर्गत संस्कृति/कला प्रक्षेत्र में सहायक निदेशक एवं उप निदेशक का पद होगा, जिसमें सहायक निदेशक मूल कोटि का पद होगा।
- (4) अराजपत्रित सेवा अन्तर्गत पुरातत्व प्रक्षेत्र में वरीय तकनीकी सहायक, अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी, अभिलेख पदाधिकारी, उपनिदेशक (पुरातत्व) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक (पुरातत्व) का पद होगा, जिसमें वरीय तकनीकी सहायक मूल कोटि का पद होगा, जबकि संग्रहालय प्रक्षेत्र में दीर्घा सहायक / तकनीकी सहायक / अवधायक / अनुसंधान सहायक / मुद्रात्वविद / रसायन सहायक / मार्गदर्शक, संग्रहालयाध्यक्ष एवं उपनिदेशक (संग्रहालय) का पद होगा, जिसमें दीर्घा सहायक / मार्गदर्शक / तकनीकी सहायक / अवधायक / अनुसंधान सहायक / मुद्रात्वविद / रसायन सहायक मूल कोटि का पद होगा। पदों की विवरणी इस नियम के उपनियमों में वर्णित है।
- (5) मुख्यालय स्तर पर निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का एक पद होगा, जो उप निदेशक से उच्च स्तर का गैर संवर्गीय पद होगा।
- (6) झारखण्ड सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार संवर्ग बल का निर्धारण कर सकेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग के स्थायी पदों के सृजननाम परिवर्तन की स्वीकृति दे सकेगी तदनुसार संवर्ग बल पुनरीक्षित समझा जायेगा।

(7) संस्कृति/कला प्रक्षेत्र

पद कोटि	पदनाम	समूह	वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल (ग्रेड वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम
मूल कोटि	सहायक निदेशक (संस्कृति/कला)	राजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-8 (ग्रेड वेतन- 4800/-)	03	सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति का पद	उप निदेशक, (संस्कृति/कला)	राजपत्रित (समूह-क)	लेवल-11 (ग्रेड वेतन- 6600/-)	01	प्रोन्नति द्वारा

(8) पुरातत्व प्रक्षेत्र

पद कोटि	पदनाम	समूह	वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल (ग्रेड वेतन)	स्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम
मूल कोटि	वरीय तकनीकी सहायक	अराजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-6 (ग्रेड वेतन- 4200/-)	04	सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति का प्रथम स्तर	अन्वेषण एवं उत्खनन पदा०/अभिलेख पदा०/सहायक निदेशक (पुरातत्व)	अराजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-7 (ग्रेड वेतन- 4600/-)	03	प्रोन्नति द्वारा
प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	उप निदेशक (पुरातत्व)/क्षेत्रीय उप निदेशक (पुरातत्व)	राजपत्रित (समूह-क)	लेवल-11 (ग्रेड वेतन- 6600/-)	02	प्रोन्नति द्वारा

(9) संग्रहालय प्रक्षेत्र

पद कोटि	पदनाम	समूह	वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल (ग्रेड वेतन)	पदों की संख्या	नियुक्ति का माध्यम
मूल कोटि	(i) दीर्घा सहायक/ गार्ड/तकनीकी सहायक/अवधायक/ अनुसंधान सहायक/	अराजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-6 (ग्रेड वेतन- 4200/-)	12	सीधी भर्ती द्वारा

	मुद्रात्वविद				
	(ii) रसायन सहायक	अराजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-6 (ग्रेड वेतन- 4200/-)	01	सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति का प्रथम स्तर	संग्रहालयध्यक्ष	राजपत्रित (समूह-ख)	लेवल-9 (ग्रेड वेतन- 5400/-)	02	प्रोन्नति द्वारा
प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	उप निदेशक, संग्रहालय	राजपत्रित (समूह-क)	लेवल-11 (ग्रेड वेतन- 6600/-)	01	प्रोन्नति द्वारा

खण्ड (क) - राजपत्रित सेवा के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली

अध्याय - 2

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

4. **रिक्तियों में आरक्षण:-** आरक्षण संबंधी प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन परिपत्रों/संकल्पों/नियमों/परिनियमों द्वारा आच्छादित होगा।
5. **रिक्तियों का निर्धारण तथा संसूचन:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प जापांक 13026 दिनांक 27.11.2012 की कंडिका 3(i) के अनुसार विभाग "प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की संख्या का निर्धारण कर लेगा तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की सूचना 28/29 फरवरी तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेज देगा।
6. **उम्र सीमा:-**
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति वाले पदों के लिए:- नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प जापांक 13026 दिनांक 27.11.2012 के आलोक में अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए संदर्भ तिथि अध्याय वर्ष की 01^{ली} अगस्त होगी।

- (2) उम्र सीमा में छूट:- उम्र सीमा में छूट का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संबंधित परिपत्रों/संकल्पों/ नियमों/परिनियमों द्वारा आच्छादित होगा।

7. **सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता/अर्हतायें:-**

राजपत्रित पदों यथा - सहायक निदेशक (कला/संस्कृति) पद के लिये अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ-साथ नाट्य कला में स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा नृत्य/संगीत में स्नातकोत्तर अथवा उसके समतुल्य अथवा ललित कला/कला इतिहास/मास्टर इन फाईन आर्ट्स/ Master in Performing Arts. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

8. **नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया:-**

- (1) सहायक निदेशक (कला/संस्कृति) के कुल बल के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग अनुसूची-1 एवं 1(i) में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा तथा 50 अंकों का साक्षात्कार भी आयोजित करेगा।

लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-13026, दिनांक 27.11.2012 की कंडिका 3(vi), संकल्प ज्ञापांक-7358 दिनांक-12.09.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.08.2020 के अनुसार कोटिवार होगा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर न्यूनतम अर्हतांक में किये जाने वाले परिवर्तन से प्रभावित होगा। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

- i. लिखित परीक्षा अन्तर्गत पत्र-01, पत्र-02 एवं पत्र-03 में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत (तीनों पत्रों में अलग-अलग) अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र-02 एवं पत्र-03 (पत्र-01 प्रथम पत्र-भाषा ज्ञान Qualifying Nature को छोड़कर) में प्राप्त अंकों को जोड़ कर लिखित परीक्षा हेतु कुल अंकों की गणना की जायेगी।
- ii. आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- iii. मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया

जायेगा, अर्थात् अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

9. परीक्षा का स्वरूप, पूर्णांक एवं पाठ्यक्रम:-

(1) क्र.	पद का नाम	पद का स्वरूप	पत्र एवं विषय	पूर्णांक	समय	पाठ्यक्रम
1.	सहायक निदेशक, संस्कृति/कला	राजपत्रित	प्रथम पत्र- भाषा/ज्ञान द्वितीय पत्र - सामान्य ज्ञान व समसामयिकी तृतीय पत्र - कला एवं संस्कृति साक्षात्कार -	200 200 200 50	02 घंटे 02 घंटे 02 घंटे	अनुसूची - 1

- (2) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक ऊँर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (कुल 200 अंक) होंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा।

प्रथम प्रश्न पत्र (भाषा/ज्ञान)- हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/ संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यह प्रश्नपत्र Qualifying Nature का होगा तथा मेधासूची हेतु प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जायेगा।

10. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा:-

- ii. सहायक निदेशक संस्कृति/कला के पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, पदों की संख्या के 5 गुणा अथवा उससे कम होने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग शैक्षणिक अंक पत्रों के आधार पर एवं साक्षात्कार के माध्यम से योग्य अभ्यर्थी का चयन कर सकेगी। इस स्थिति में साक्षात्कार के लिये 25 अंक ही देय होगा तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्रों के आधार पर 75 अंक देय होगा। शैक्षणिक अंकों का विभाजन आयोग अपने स्तर से करेगी। मेधा सूची कुल 100 अंको पर बनाई जायेगी। चयन प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप से तैयार की जाने वाली मेधा सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर न्यूनतम अर्हतांक में किये जाने वाले परिवर्तन से प्रभावित होगा। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
- iii. झारखण्ड लोक सेवा आयोग चयनित उम्मीदवारों की मेधा सूची एवं अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेगा। परीक्षा आयोजित करने संबंधी शेष प्रक्रिया आयोग अपने Rules of Procedure, 2002 के अनुरूप कार्यान्वित करेगी।

- iiiii. किसी खास वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियाँ नहीं भरी जा सकने की स्थिति में अथवा चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं करने की स्थिति में अवशेष रिक्तियाँ अगली अधियाचना में अग्रणीत हो जायेंगी।
- iviv. परीक्षा की सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का स्वीकरण/अस्वीकरण के लिये आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होगा।

अध्याय - 3

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

11. प्रोन्नति की प्रक्रिया:-

- (1) झारखण्ड संस्कृति संवर्ग के प्रोन्नति के हर एक पदसमूह की अलग-अलग वरीयता सूची संधारित की जायेगी।
- (2) आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई मेधा सूची में निर्धारित वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।
- (3) वरीयता सूची विभाग में संधारित होगी।
- (4) i) मूल कोटि के पद पर सम्पुष्ट एवं अन्यथा योग्य रहने पर सहायक निदेशक (संस्कृति/कला) को उप निदेशक (संस्कृति/कला) के पद पर वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति दी जायेगी।
- ii) राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा-

क)	सदस्य, राजस्व पर्षद	-	अध्यक्ष,
ख)	सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग	-	सदस्य
ग)	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	-	सदस्य
घ)	विभागीय विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	-	सदस्य सचिव
ड)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य

- iii) कालावधि:- झारखण्ड संस्कृति संवर्ग अंतर्गत पदों पर प्रोन्नति के निमित्त कालावधि का निर्धारण में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-3286, दिनांक-04.04.2014 तथा समय-समय पर परिवर्तित किये गये संकल्प/परिपत्र आदि स्वतः लागू होंगे।

क्रमांक	पद (जिससे प्रोन्नति दी जानी है)	पद (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है)	न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि
1-	सहायक निदेशक (कला/संस्कृति)	उप निदेशक (कला/संस्कृति)	06 वर्ष

- (5) संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कैडर पद कम होने के कारण, प्रोन्नति हेतु निर्धारित पद का प्रतिशत - शतप्रतिशत होगा।
- (6) उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार/अन्य राज्यों/अन्य विश्वविद्यालयों/अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

अध्याय - 4

विविध

12. परीक्षा:-

मूल कोटि के पद पर नियुक्त राजपत्रित सेवा में योगदान की तिथि से दो वर्षों तक परीक्ष्यमान रहेंगे।

13. प्रशिक्षण:-

- (1) वेतन वृद्धि - नियुक्ति के पश्चात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा संगणक संचालन प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा के दो पत्रों में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अवरूद्ध वेतनवृद्धियाँ देय होगी, लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

- (2) सहायक निदेशक (कला/संस्कृति) एवं उप निदेशक (कला/संस्कृति) के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत कार्मिकों को प्रशासनिक विषयों से संबंधित एक प्रशिक्षण चर्चा में भाग लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जायेगा। अनुसूची 3 में वर्णित विषयों पर व्याख्यान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- (3) कार्मिकों की सेवा को विभाग के लिये और अधिक उपयोगी बनाने के निमित्त संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उनकी सेवा से संबंधित विषयों हेतु समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले पूर्णकालिक/अल्पकालिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सेवान्तर्गत अवसर उपलब्ध कराया जायगा।

14. सेवा सम्पुष्टि:-

सेवा में प्रथम बार योगदान के पश्चात दो वर्षों की संतोषजनक परीक्ष्यमान अवधि पूरी करने तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं सभी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरांत ही मूल कोटि में नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।

खण्ड(ख) अराजपत्रित सेवा पद के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली

अध्याय - 2

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

4. **रिक्तियों में आरक्षण:-** आरक्षण संबंधी प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन परिपत्रों/संकल्पों/नियमों/परिनियमों द्वारा आच्छादित होगा।
5. **रिक्तियों का निर्धारण तथा संसूचन:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 13026 दिनांक 27.11.2012 की कंडिका 3(i) के अनुसार विभाग “प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की संख्या का निर्धारण कर लेगा तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की सूचना 28/29 फरवरी तक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज देगा।
6. **उम्र सीमा:-**
- (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति वाले पदों के लिए:- नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार

तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 13026 दिनांक 27.11.2012 के आलोक में अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए संदर्भ तिथि अध्याचना वर्ष की 01वीं अगस्त होगी।

- (2) उम्र सीमा में छूट:- उम्र सीमा में छूट का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संबंधित परिपत्रों/संकल्पों/नियमों/परिनियमों द्वारा आच्छादित होगा।

7. सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता/अर्हतायें:-

- (1) अराजपत्रित पदों यथा - वरीय तकनीकी सहायक (पुरातत्व प्रक्षेत्र) एवं तकनीकी सहायक / दीर्घा सहायक / अनुसंधान सहायक / मुद्रात्वविद् / गार्ड / अवधायक (संग्रहालय प्रक्षेत्र) पद के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-
- (i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ-साथ प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व/पुरातत्व/संग्रहालय विज्ञान/एशियाई अध्ययन/कला एवं वास्तु कला में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

अथवा

- (ii) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ-साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संस्थान से पुरातत्व में स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राच्य विद्या (संस्कृत/प्राकृत/पाली/फारसी/अरबी) में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (2) अराजपत्रित पदों यथा - रसायन सहायक (संग्रहालय प्रक्षेत्र) पद के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-

अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

8. नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया:-

- (1) वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक/दीर्घा सहायक/अनुसंधान सहायक/मुद्रात्वविद्/गार्ड/अवधायक/रसायन सहायक के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अनुसूची- 2, 2(i) एवं 2(ii) में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा।

लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-13026, दिनांक 27.11.2012 की कंडिका 3(vi), संकल्प ज्ञापांक-7358 दिनांक-12.09.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.08.2020 के अनुसार कोटिवार एवं पत्रवार होगा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर न्यूनतम अर्हतांक में किये जाने वाले परिवर्तन से प्रभावित होगा।

- i. लिखित परीक्षा अन्तर्गत पत्र-01, पत्र-02 एवं पत्र-03 में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत (तीनों पत्रों में अलग-अलग) अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र-02 एवं पत्र-03 (पत्र-01 प्रथम पत्र-भाषा ज्ञान Qualifying Nature को छोड़कर) में प्राप्त अंकों को जोड़ कर लिखित परीक्षा हेतु कुल अंकों की गणना की जायेगी।
- ii. आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत पत्र-02 एवं पत्र-03 (पत्र-01 प्रथम पत्र-भाषा ज्ञान Qualifying Nature को छोड़कर) के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- iii. मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

- (2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त परीक्षा आयोग के चालू परीक्षा संचालन नियमावली से पृथक रूप से आयोजित कराया जाएगा।

9. परीक्षा का स्वरूप, पूर्णांक एवं पाठ्यक्रम:-

क्र.	पद का नाम	पद का स्वरूप	पत्र एवं विषय	पूर्णांक	समय	पाठ्यक्रम
1.	वरीय तकनीकी सहायक (पुरातत्व प्रक्षेत्र) तकनीकी सहायक/दीर्घा सहायक/गार्ड/अवधायक/अनुसंधान सहायक/मुद्रात्वविद् (संग्रहालय प्रक्षेत्र)	अराजपत्रित	प्रथम पत्र - भाषा/ज्ञान द्वितीय पत्र - सामान्य ज्ञान व समसामयिकी तृतीय पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास एवं कला-संस्कृति, पुरातत्व, वास्तुकला एवं संग्रहालय विज्ञान	200 200 200	02 घंटे 02 घंटे 02 घंटे	अनुसूची - 2
2.	रसायन सहायक (संग्रहालय प्रक्षेत्र)	अराजपत्रित	प्रथम पत्र - भाषा/ज्ञान द्वितीय पत्र - सामान्य ज्ञान व समसामयिकी तृतीय पत्र रसायन विज्ञान	200 200 200	02 घंटे 02 घंटे 02 घंटे	अनुसूची - 2

- (2) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (कुल 200 अंक) होंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा।

प्रथम प्रश्न पत्र (भाषा/ज्ञान) - हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/ संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यह प्रश्नपत्र Qualifying Nature का होगा तथा मेधासूची हेतु प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जायेगा।

10. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा:-

- i i. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कम अभ्यर्थियों की उपलब्धता (पदों की संख्या के 5 गुणा अथवा उससे कम) की स्थिति में भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करनी होगी।
- ii ii. किसी खास वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियाँ नहीं भरी जा सकने की स्थिति में अथवा चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं करने की स्थिति में अवशेष रिक्तियाँ अगली अध्यायचना में अग्रणीत हो जायेंगी।
- iii iii. परीक्षा की सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का स्वीकरण/अस्वीकरण के लिये आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होगा।

अध्याय - 3

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

11. प्रोन्नति की प्रक्रिया:-

- (1) झारखण्ड संस्कृति संवर्ग के प्रोन्नति के हर एक पदसमूह की अलग-अलग वरीयता सूची संधारित की जायेगी।
- (2) आयोग द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई मेधा सूची में निर्धारित वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।
- (3) वरीयता सूची विभाग में संधारित होगी।
- (4) ii) मूल कोटि के पद पर सम्पुष्ट एवं अन्यथा योग्य रहने पर प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पदों पर प्रोन्नति विभिन्न प्रक्षेत्रों के पद सोपान के आलोक में दी जायगी। उत्तरोत्तर इसी प्रकार प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद पर सम्पुष्ट एवं अन्यथा योग्य रहने पर प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पदों पर वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति दी जायेगी।

ii) अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु गठित होने वाले विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क)	सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग	-	अध्यक्ष
ख)	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	-	सदस्य
ग)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य
घ)	विभागीय प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य सचिव
ड.)	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य

iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25.09.2008 के आलोक में राजपत्रित पदों के Basic Grade पर (अराजपत्रित कोटे से राजपत्रित कोटे में) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क)	अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य	-	अध्यक्ष
ख)	प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	-	सदस्य
ग)	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	-	सदस्य
घ)	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग	-	सदस्य
ड)	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	-	सदस्य
च)	विभागीय विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	-	सदस्य सचिव
छ)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य

i

iv) कालावधि:- झारखण्ड संस्कृति संवर्ग अंतर्गत पदों पर प्रोन्नति के निमित्त कालावधि का निर्धारण में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-3286, दिनांक-04.04.2014 तथा समय-समय पर परिवर्तित किये गये संकल्प/परिपत्र आदि स्वतः लागू होंगे।

पुरातत्व प्रक्षेत्र

क्र.	पद (जिससे प्रोन्नति दी जानी है)	पद (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है)	न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि
1.	वरीय तकनीकी सहायक (पुरातत्व)	अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी/अभिलेख पदाधिकारी/सहायक निदेशक (पुरातत्व)	05 वर्ष
2.	अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी/अभिलेख पदाधिकारी/सहायक निदेशक (पुरातत्व)	उप निदेशक/क्षेत्रीय उप निदेशक (पुरातत्व)	07 वर्ष

संग्रहालय प्रक्षेत्र

क्र.	पद (जिससे प्रोन्नति दी जानी है)	पद (जिसमें प्रोन्नति दी जानी है)	न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि
1.	तकनीकी सहायक/दीर्घा सहायक/गार्ड/अवधायक/अनुसंधान सहायक/मुद्रात्वविद्	संग्रहालयाध्यक्ष	08 वर्ष
2.	संग्रहालयाध्यक्ष	उप निदेशक, संग्रहालय	05 वर्ष

- (5) संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कैडर पद कम होने के कारण, प्रोन्नति हेतु निर्धारित पद का प्रतिशत - शतप्रतिशत होगा।
- (6) उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार/अन्य राज्यों/अन्य विश्वविद्यालयों/अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

अध्याय - 4**विविध****12. परिवीक्षा:-**

मूल कोटि के पद पर नियुक्त अराजपत्रित कर्मी सेवा में योगदान की तिथि से दो वर्षों तक परीक्ष्यमान रहेंगे।

13. प्रशिक्षण:-

- (1) **वेतन वृद्धि** - नियुक्ति के पश्चात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा संगणक संचालन प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा के दो पत्रों में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अवरूद्ध वेतनवृद्धियाँ देय होगी, लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।
- (2) नियुक्त/प्रोन्नत कार्मिकों को प्रशासनिक विषयों से संबंधित एक प्रशिक्षण चर्चा में भाग लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जायेगा। अनुसूची 3 में वर्णित विषयों पर व्याख्यान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- (3) कार्मिकों की सेवा को विभाग के लिये और अधिक उपयोगी बनाने के निमित्त संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उनकी सेवा से संबंधित विषयों हेतु समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले पूर्णकालिक/अल्पकालिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सेवान्तर्गत अवसर उपलब्ध कराया जायगा।

14. सेवा सम्पुष्टि:-

सेवा में प्रथम बार योगदान के पश्चात दो वर्षों की संतोषजनक परीक्ष्यमान अवधि पूरी करने तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं सभी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरांत ही मूल कोटि में नियुक्त कार्मिकों की सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।

अध्याय - 5**अन्यान्य**

15. **प्रशासनिक नियंत्रण:-** झारखण्ड संस्कृति संवर्ग पर पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
16. **अनुशासनिक कार्रवाई:-**
झारखण्ड संस्कृति संवर्ग के पदधारकों पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
17. **नियमों का शिथिलीकरण :-** यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो अथवा किसी नियम के पालन से कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर तथा आयोग की सहमति प्राप्त कर राज्य सरकार कार्मिकों/पदों के वर्गों/कोटियों के संबंध में नियमावली के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी तथा इस नियमावली में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।

18. **विनियम:-** राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिये इन नियमों से असंगत एवं ऐसी सभी बातों का उपबंध करने के लिये जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियम बना सकेगा।
19. **निर्वचन:-** यदि इस नियमावली या इसके अंतर्गत निर्मित किसी विनियम के किसी उपबंध के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, तब उस मामले को पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग को निर्दिष्ट किया जायगा, जिस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. **निरसन एवं व्यावृत्ति-**
- i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर पूर्व से स्थापित कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
 - ii) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त नियमावली/नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार),

सरकार के सचिव

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

झारखण्ड, राँची
